अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. बद्रीनारायण दत्तक पुत्र झूंथा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम अखैपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. मनीष कुमार पुत्र बाबूलाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी बस्सी।
2. घासी पुत्रान चन्दालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चक भाजूपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राज सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक बस्सी, जिला जयपुर राज.।

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 183/16 दिनांक 18.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 चतरु की जगह मनीष ने उपस्थित होकर अर्थात तीन पक्षकारों में से 2 पक्षकार द्वारा संयुक्त रुप से पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बंटवारा करने हेतु निवेदन करने पर कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा में ही तहसीलदार बस्सी को वादग्रस्त भूमि ख.नं. 70 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा स्थित ग्राम अखैपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस यथा संभव कब्जे व रास्ते को ध्यान में रखते हुये पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा करने हेतु निर्देश दिये गये। तहसीलदार बस्सी से कुर्रेजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। पक्षकारों को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात व नक्शे पर सुना गया। वादी व प्रतिवादी द्वारा उक्त कुर्रेजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुर्रेजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व वकील वादी द्वारा कुर्रेजात पर सहमति जाहिर करने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार तहसीलदार बस्सी द्वारा भेजे गये गये कुर्रेजात सरस नरस के आधार पर एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए बनाये गये है। कुर्रेजात व नक्शे का अनुमोदन किया गया। वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 70 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में से ख.न. 99/70 रकबा 19 बिस्वा मनीष कुमार पुत्र बाबूलाल जाति हरि. ब्रा. सा. ग्राम बस्सी के हिस्से में रहेगी एवं ख.न. 100/70 रकबा 19 बिस्वा घासी पुत्र चन्दालाल जाति हरि. ब्रा. निवासी चक भाजुपुरा के हिस्से में रहेगी एवं ख.न. 70 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा बदरीनारायण पि.मु. झूंथा जाति हरि. ब्रा. सा. देह के हिस्से में रहेगी एवं ख.न. 101/70 रकबा 1 बिस्वा शामलात भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रेजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18.05.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मनोहरपुरा में मजमें आम में सुनाया गया।

18.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. बद्रीनारायण दत्तक पुत्र झूंथा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम अखैपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. मनीष कुमार पुत्र बाबूलाल जाति हरि. ब्राहमण निवासी बस्सी।
2. घासी पुत्रान चन्दालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चक भाजूपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राज सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक बस्सी, जिला जयपुर राज.।

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 183/16 दिनांक 18.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 70 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में से ख.न. 99/70 रकबा 19 बिस्वा मनीष कुमार पुत्र बाबूलाल जाति हरि. ब्रा. सा. ग्राम बस्सी के हिस्से में रहेगी एवं ख.न. 100/70 रकबा 19 बिस्वा घासी पुत्र चन्दालाल जाति हरि. ब्रा. निवासी चक भाजुपुरा के हिस्से में रहेगी एवं ख.न. 70 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा बदरीनारायण पि. मु. झूंथा जाति हरि. ब्रा. सा. देह के हिस्से में रहेगी एवं ख.न. 101/70 रकबा 1 बिस्वा शामलात भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ....निजी..................मुबलिक........ ....बाबत..खर्चा.. इस मुकददमें का मय सूद वगैरह. ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..............................
ओहदा..............................

(हस्ताक्षर) 18.5.18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी